76

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1170—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—03—2016 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/अ—6/2015—16

.....

अजय सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह
निवासी—सिद्ध गणेश मंदिर के पास
बस स्टैण्ड वार्ड नं0 4 छतरपुर, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1— डॉ0 शिवेन्द्रे कुमार चौरसिया पुत्र स्व0 श्री घाशीराम
2— डॉ0 श्रीमती लता चौरसिया पत्नी डॉ0 शिवेन्द्र कुमार चौरसिया
3— मणि भाई चौरसिया पुत्र स्व0 घाशीराम चौरसिया
निवासीगण—छतरपुर, म0प्र0
4— जगन्नाथ कुशवाह पुत्र स्व0 श्री धान्धु कुशवाह
निवासी—सिमरया तहसील महाराजपुर
जिला—छतरपुर, म0प्र0
5— म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला—छतरपुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक,अनावेदक क्र0 3
स्वयं, अनावेदक क्र0 4
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक क्र0 5

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-2-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—03—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि सिद्ध गणेश मार्ग छतरपुर में स्थित सीट नं0 34(भू–खण्ड क्र0 44) सर्वे क्र0 788 रकबा 623 के आवेदक के पिता बहादुर सिंह को पट्टा हुआ था। तत्पश्चात प्रकरण क्रमांक 1260/अ–20–1/84–85 में पारित आदेश दिनांक 29.03.85 द्वारा आवेदक के नाम पट्टा प्रदान किया गया था, जो आवेदक एवं उसकी मां मर्सी सिंह के नाम भूमि स्वत्व पर दर्ज थी। अनावेदक क्र0 4 द्वारा आवेदक की मां मर्सी सिंह से रकबा 6870 वर्ग फीट का विक्रय पत्र संपादित करा लिया गया। अनावेदक क्र0 4 द्वारा तथाकथित क्रय की गई भूमि में से अनावेदक क्र0 1 से 3 पक्ष में विक्रय पत्र संपादित किये गये। तथाकथित विक्रय पत्रों के आधार पर अनावेदक क्र0 1 से 3 द्वारा आवेदक की मृतक मां एवं अनावेदक क्र0 4 व 5 को पक्षकार बनाते हुये नजूल अधिकारी के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया, जिस पर आवेदक द्वारा आपत्तियां की गई साथ ही सी0पी0सी के आदेश 1 नियम 10 के अधीन उसे पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन किया गया। नजूल अधिकारी, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09.09.14 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि वह इस प्रकरण में आपत्तिकर्ता के रूप में पक्षकार है, जिसे सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। तत्पश्चात नजूल अधिकारी, छतरपुर द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में दिनांक 10.04.2015 को आदेश पारित कर अनावेदक क्र0 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया नामांतरण का आवेदन पत्र खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 से 3 के द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रकरण पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 15/अपील/अ–6/2015–16 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 30.03.2016 अनावेदक क्र0 1 से 3 के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालया का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय नजूल अधिाकरी के आदेश दिनांक 09.09.14 के विपरीत निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। जबकि नजूल अधिकारी, छतरपुर द्वारा आदेश दिनांक 09.09.2014 द्वारा आवेदक को आपत्तिकर्ता के रूप में पक्षकार मानते हुये उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाने का आदेश पारित किया गया है। जब उपर्युक्त

विवादित भूमि आवेदक एवं उसकी मां मर्सी सिंह के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में दर्ज थी, जिसमें आवेदक समभाग का सह स्वामी था। ऐसी स्थिति में उसकी मां मर्सी सिंह को सम्पूर्ण भूमि विक्रय करने का अधिकार ही नहीं था और जब विक्रेता को ही विक्रय करने का अधिकार नहीं था, तब क्रेतागणों को कोई हक/स्वत्व अर्जित नहीं हो सकते। तथापित तथाकथित विक्रय पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होना मानना नितांत अवैध है। आवेदक को प्रदत्त पट्टा दिनांक 29.03.85 से ही प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आवेदक विवादित भूमि का भूमिस्वामी है एवं प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अध्ययन से विदित होता है कि आवेदक की मां मर्सी सिंह द्वारा रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 23.01.1992 में साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये गये, जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित भू–खण्ड के विक्रय अनावेदक क्र0 4 जगन्नाथ कुशवाह को किये जाने की जानकारी आपित्तकर्ता को है तत्पश्चात् जगन्नाथ कुशवाह द्वारा विवादित भू–खण्ड का विक्रय पत्र मणिभाई चौरसिया तथा मणिभाई चौरसिया द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदक क्र0 1 डॉ0 शिवेन्द्र चौरसिया को किया जाना पाया गया है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आपत्तिकर्ता अधीनस्थ न्यायालया में पक्षकार नहीं रहा है। इसी कारणवश अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा आपत्तिकर्ता का आवेदन दिनांक 20.08.2015 आदेश 1 नियम 10 जा.दी. निरस्त किया गया है। अतः अपर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिनुकूल है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–03–2016 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः न्यायालय अपर कलेक्टर, छतरपुर का आदेश

स्थिर रखते, हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर